फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गणपतसिंह राठौड ऑफ करणसिंह सहलोत, ईमली वाले बालाजी मंदिर के पास नया बाजार कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द
लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 73/2018

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.01.2019 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द व लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0,05/2018/2–3 दिनांक 03.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(1)(2) के अन्तर्गत मूल आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ को इस कार्यालय के जरिये पत्रांक सू0अ0,05/2018/803–04 दिनांक 11.10.2018 से भेजा गया एवं प्रार्थी को भी इस बाबत सूचित किया गया कि संबंधित कार्यालय मे सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करें। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ द्वारा जरिये पत्रांक प.1( )सू.अ., 05/2018/86–87 दिनांक 04.01.2019 से प्राप्त रिपोर्टानुसार बिन्दु संख्या 01 से चाही गयी सूचना रेंजर्स वन अधिकारी कुम्भलगढ से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2018/8366–68 दिनांक 18.10.2018 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। उप वन संरक्षक वन्यजीव राजसमन्द द्वारा उक्त सूचना हेतु क्रमांक एफ/सर्वे/उवस/2018–19/9105 दिनांक 13.12.2018 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दुओं के संबंध में बिन्दु संख्या 02 से 05 के लिय इस कार्यालय से तहसीलदार, कुम्भलगढ को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक 8362–63 दिनांक 18.10.2018 से आवेदन पत्र प्रेषित किया गया। प्रार्थी अपीलार्थी के आवेदन	

के वर्णित बिन्दुओं के संबंध मे तहसीलदार, कुम्भलगढ द्वारा जरिये पत्रांक 208–209 दिनांक 12.11.2018 से बिन्दु संख्या 02 की ऑशिक सूचना उपलब्ध कराते हुए बिन्दु संख्या 03 व 04 की सूचना उपलब्ध नहीं है यह प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को सूचित कराया गया।

प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2018 के आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दु संख्या 01 लगायत 05 की समीक्षा करने पर प्रार्थी द्वारा 01 जनवरी, 2013 से 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि की अपने आरटीआई आवेदन पत्र मे कई विभागो की सूचना एक ही आवेदन पत्र से चाही गयी जिसमें वह सभी सूचन अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने मे कार्यालयों के संसाधनों का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण मे पूर्ण रूप से प्रतिकुल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का, सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय हैं) किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना को ध्यान मे रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना से वंचित करना भी समुचित नहीं होगा। प्रार्थी अपीलार्थी को इस जवाब के माध्यम से पुनः अवगत किया जाता है कि यदि प्रार्थी अपीलार्थी चाहे तो संबंधित कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड का स्वयं व्यक्तिशः अवलोकन कर आवेदन पत्र के संबंध में अपने हितो की वह सूचना जिसकी प्रार्थी अपीलार्थी को आवश्यकता हो उनका पूर्ण विवरण अंकित कर उसी अनुरूप विशिष्ठयां का उल्लेख करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के प्रावधानानुसार कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

प्रार्थी अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन व उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ की रिपोर्ट के अवलोकंन से प्रतीत होता है कि बिन्दु संख्या 01 लगायत 05 मेसे 02 की तहसीलदार कुम्भलगढ द्वारा आंशिक सूचना उपलब्ध कराई गई है ।

प्रार्थी अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2018 के आवेदन पत्र मे वर्णित बिन्दु संख्या 01 लगायत 05 की समीक्षा करने पर प्रार्थी द्वारा 01 जनवरी, 2013 से 31 अगस्त, 2018 तक की अवधि की अपने आरटीआई आवेदन पत्र मे कई विभागो की सूचना एक ही आवेदन पत्र से चाही गयी जिसमें वह सभी सूचना अत्यन्त विस्तृत सूचना है जिसे देने मे कार्यालयों के संसाधनों का अनुपातिक रूप से परिवर्तित, सुरक्षा एवं परिक्षण मे पूर्ण रूप से प्रतिकुल प्रभाव पडेगा। इस प्रकार की विस्तृत सूचना का, सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 7(9) के प्रावधानानुसार इसका वर्जन (अदेय है) फिर भी प्रार्थी को सूचना से वंचित करना समुचित नहीं होगा ।

अतः वर्णित स्थिति के मध्यनजर उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 02,03,04 के संबंध में आपके कार्यालय व तहसील कार्यालय कुम्भलगढ में उपलब्ध रिकार्ड का प्रार्थी अपीलार्थी को 15 दिवस में अवलोकंन करा प्रार्थी के हितबद्व की सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करावें । साथ ही प्रार्थी अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस में उपखण्ड कार्यालय व तहसील कार्यालय कुम्भलगढ का व्यक्तिशः उपस्थित हो धारा 2(एफ) के अनुसार अभिलेख का अवलोकंन कर अपने हितबद्व की सूचना प्राप्त करें ।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द व उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ व तहसीलदार कुम्भलगढ को पालनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)